कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं. –2, तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2766315 फैक्स : 0755–2766315 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / माचि–1 / माचि–1 / GEN-544 / 3455 भोपाल, दिनांक 30-4-2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई–01, बालाघाट

विषय :– **बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंर्तगत वन एवं** वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मिटिगेशन मेजर्स (पैसेज प्लान) के संबंध में।

संदर्भ :– वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट का पत्र क्रमांक / 2576 दिनांक 16.04.2024 एवं आपका पत्र कमांक / 812 / तक / मप्रप्रासप्रा / 2024 दिनांक 04.04.2024 तथा कार्यालयीन पत्र कमांक / माचि–1 / GEN-544 / 2267 दिनांक 15.03.2024

––––0––––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंर्तगत मार्ग निर्माण हेतु विभिन्न प्रकरणों में दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट एवं उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र **कान्हा–नागझीरा–टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर** में आने से वनभूमि व्यवपर्तन के प्रकरण में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY, MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) के साथ राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी पैसेज प्लान सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पैसेज प्लान में निम्न बिंदुओं का समावेश किया जाना आवश्यक है।

(अ) योजना का संक्षिप्त विवरण।

(ब) मानचित्र जिसमें मार्ग / वनसीमा / कॉरीडोर की सीमा स्पष्ट दर्शित हो।

(स) आवश्यक मिटिगेशन मेजर्स का लिनियर प्लान जिसमें मार्ग के मिटिगेशन मेजर्स जैसे अण्डरपास एवं ओव्हरपास स्पीड ब्रेकर / संकेतक बोर्ड इत्यादि का साईज (लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई) एवं इनके अक्षांश –देशांश भी अंकित हो। प्रस्तावित संरचनाओं की संक्षिप्त ड्राइंग इत्यादि का समावेश हो।

(द) कॉरीडोर में निर्माण किये जाने वाले मार्गो के प्रत्येक कि.मी. में अण्डरपास एवं ओवरपास (300 मीटर का) बनाये जाने की आवश्यकता नही है। केवल ऐसे स्थलों पर अण्डरपास एवं ओवरपास निर्माण किया जाना चाहिये जहाँ, संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि वन्यप्राणी आवागमन के लिये मार्ग का उपयोग करते है। मिटिगेशन मेजर्स प्लान हेतु आवेदक विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर यदि प्रस्तावित अण्डरपास एवं ओवरपास की संख्या अधिक है, तब उनकी संख्या युक्तियुक्त (Rationalize) कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न करें।

(य) वनक्षेत्र से गुजरने वाले अंश पर मिटिगेशन मेजर्स प्लान के साथ अनुमानित व्यय की राशि का भी उल्लेख करें। ताकि वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन के लिये आवश्यक राशि की मांग की जा सके।

आपके द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 कमांक / माचि 1 / GEN-544 / 3456 भोपाल, दिनांक 30-4-2024

प्रतिलिपि :–

1. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण / उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

2459
6/5/24

D/kalpana/wl/lm case

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं. -2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2766315 फैक्स : 0755-2766315 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि-1/माचि-1/WL/LM-14/3276

प्रति, भोपाल, दिनांक 25.4.2024

महाप्रबंधक,
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022

संदर्भ :- वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट का पत्र क्रमांक/2578 दिनांक 16.04.2024 एवं आपका पत्र क्रमांक/786/तक/म.प्र.ग्रासप्रा/2024 दिनांक 01.04.2024 तथा इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/माचि-1/WL/LM-14/2336 दिनांक 16.03.2024

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत बोदादलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई 18500 मीटर कुल रकबा 16.650 हेक्टेयर जिसमें से लगभग लम्बाई 130 मीटर वनक्षेत्र कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत आने से वनभूमि व्यवपर्तन के प्रकरण में वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा उनके पत्र दिनांक 16.04.2024 के साथ आपका संदर्भित पत्र दिनांक 01.04.2024 से वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु अनुशंसा सहित मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित मार्ग कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से एवं वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा जारी दिशा-निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स (पैसेज प्लान) के साथ राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी पैसेज प्लान सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 16.03.2024 से लेख किया गया है। आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 01.04.2024 से जो मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) संलग्न प्रस्तुत किया गया है, वह स्पष्ट नहीं है। इस हेतु पैसेज प्लान में निम्न बिंदुओं का समावेश किया जाना आवश्यक है:-

(अ) योजना का संक्षिप्त विवरण।

(ब) मानचित्र जिसमें मार्ग/वनसीमा/कॉरीडोर की सीमा स्पष्ट दर्शित हो।

(स) आवश्यक मिटिगेशन मेजर्स का लिनियर प्लान जिसमें मार्ग के मिटिगेशन मेजर्स जैसे पुल/पुलिया/स्पीड ब्रेकर/संकेतक बोर्ड इत्यादि का साईज (लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई) एवं इनके अक्षांश-देशांश भी अंकित हो। प्रस्तावित संरचनाओं की संक्षिप्त ड्रांइग इत्यादि का समावेश हो।

(द) प्लान में आवेदक विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों का मिटिगेशन मेजर्स के लिये संयुक्त स्थल निरीक्षण संलग्न करें।

(इ) वनक्षेत्र से गुजरने वाले अंश पर मिटिगेशन मेजर्स प्लान के साथ अनुमानित व्यय की राशि का उल्लेख करें।

आपके द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

25/4/24

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

D/kalpana/wl/lm case

253
30.04.24

वनसंरक्षक
वृत (व.प्र.)
30/4/24

पृ0 कमांक / माचि–1 / WL/LM-14 / 3277 भोपाल, दिनांक 25.4.2024

प्रतिलिपि :–

1. वन सरक्षक, बालाघाट वृत्त, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

25/4

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वृत्त

कृमांक/डी.एम./ 2033 बालाघाट दि. 08/05/24

प्रतिलिपि :- वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

वनसंरक्षक
बालाघाट वत म.प्र.

1109
15/5/2024

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष न.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 1809 बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक– 1, बालाघाट
जिला– बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/माचि–1/WL/LM-14/1323, 1324 दिनांक 13.02.2024, एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./570, 571 दिनाक 19.01.2024

––00––

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में लेख है, कि विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A, 341B, में लम्बाई 18500 मीटर, रकबा 16.650 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि, में से वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में मात्र 130 मीटर का भाग कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आता है। जिसमें कार्यालयीन अभिलेखों में अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के अनुसार कक्ष क्रमांक– 336, 327, 341A, 341B, में बाघ की उपस्थिति दर्ज है।

अतएव उपरोक्त विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु Mitigation Plan, Wild life Clearance के लिये Parivesh Portal के माध्यम से प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Meena
(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

पृष्ठा. कमांक/मा.चि./ 1810 बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(3) वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकिंत संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

Meena
(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\13-Bodadalkha to Dhiri Murum 16.65 hac\Memo Letter.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं. –2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2766315 फैक्स : 0755–2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / माचि–1 / WL /LM-14 / 1323 भोपाल, दिनांक 13-2-2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंर्तगत बोदादलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्।
(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / माचि / 570 दिनाक 19.01.2024

——0——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (RCPLWE) के अंर्तगत बोदादलखा से धीरी मुरूम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि व्यवपर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा 27.12.2023 बिन्दु क्रमाक 04–**The comments of CWLW shall be submitted,** एवं पत्र दिनांक 05.09.2023 से बिन्दु क्रमांक 07 – **As Per DSS analysis, the proposed road is part of Tadoba Indrawati Tiger corridor Regarding approval from Competent authority shall be submitted** के संबंध में चाही गई जानकारी का जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु में दक्षिण बालाघाट (सामान्य) वन मण्डल के परिक्षेत्र पूर्व लांजी के वनकक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A एवं 341B में लम्बाई 18500 मीटर रकबा 16.650 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र कान्हा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत है। परन्तु आपके द्वारा लेख किया गया है कि मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित वनक्षेत्र में मिटिगेशन मेजर्स के प्रावधान अंतर्गत वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार रेखीय परियोजना में वन्यप्राणी संरक्षण की दृष्टि से मिटिगेशन मेजर्स का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट करें कि उक्त प्रस्तावित मार्ग का रकबा 16.650 हेक्टेयर क्षेत्र कान्हा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत है फिर भी मिटिगेशन मेजर्स की आवश्यकता क्यों नहीं है? साथ ही उक्त प्रस्तावित मार्ग हेतु प्रभावित वनक्षेत्र के कक्ष क्रमांक, कॉरीडोर दर्शाता हुआ अभिप्रमाणित रंगीन मानचित्र (स्केल 1:50000) अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन 03 के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार उक्त कक्ष क्रमांकों में बाघ की उपस्थिति/ अनुपस्थिति संबंधी जानकारी भी देवे। ताकि इस कार्यालय का अभिमत प्रेषित किया जा सके।

13/2/24

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / माचि–1 / WL /LM-14 / 1324 भोपाल, दिनांक 13-2-2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण,परियोजना क्रियान्वयन इकाई–01, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.),
मध्यप्रदेश, भोपाल

D/kalpana/wl/lm case

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 570 बालाघाट, दिनांक 19 / 01 / 2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन्यप्राणी)
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदालखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / व.प्रा. / व.त.अ.-1 / GEN-553/453, 454 दिनांक 15 / 01 / 2024,

--00--

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में लेख है, कि विषयांतर्गत सड़क मार्ग के वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावित प्रकरण में दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमंडल के वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A, 341B, में लम्बाई 18500 मीटर, रकबा 16.650 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में NTCA के वेबसाईड से कॉरिडोर के KML का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि विषयांकित प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उपर्युक्त मार्ग की KML File एवं कॉरिडोर की KML अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।

विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में उपर्युक्त प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स के प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में अन्डर पासेस एवं चैनलिंग फेंसिग की आवश्यकता नही है। **परन्तु उक्त प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में प्रत्येक 1 km. अन्तराल पर संकेतक बोर्ड एवं प्रत्येक 1 km. अन्तराल पर गतिअवरोधक, आवेदक विभाग / संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बालाघाट, द्वारा परियोजना व्यय पर उनके द्वारा ही बनाया जाना प्रस्तावित है।** कृपया प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- KML File एवं कॉरिडोर की KML

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा.वनमंडल,बालाघाट

पृष्ठा. कमांक / मा.चि. / 571 बालाघाट, दिनांक 19 / 01 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक / व.प्रा. / व.त.अ.-1 / GEN-553/453, 454 दिनांक 15 / 01 / 2024, जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उपवनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण सा.वनमंडल,बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\13-Bodadalkha to Dhiri Murum 16.65 hac\Memo Letter.docx

OK

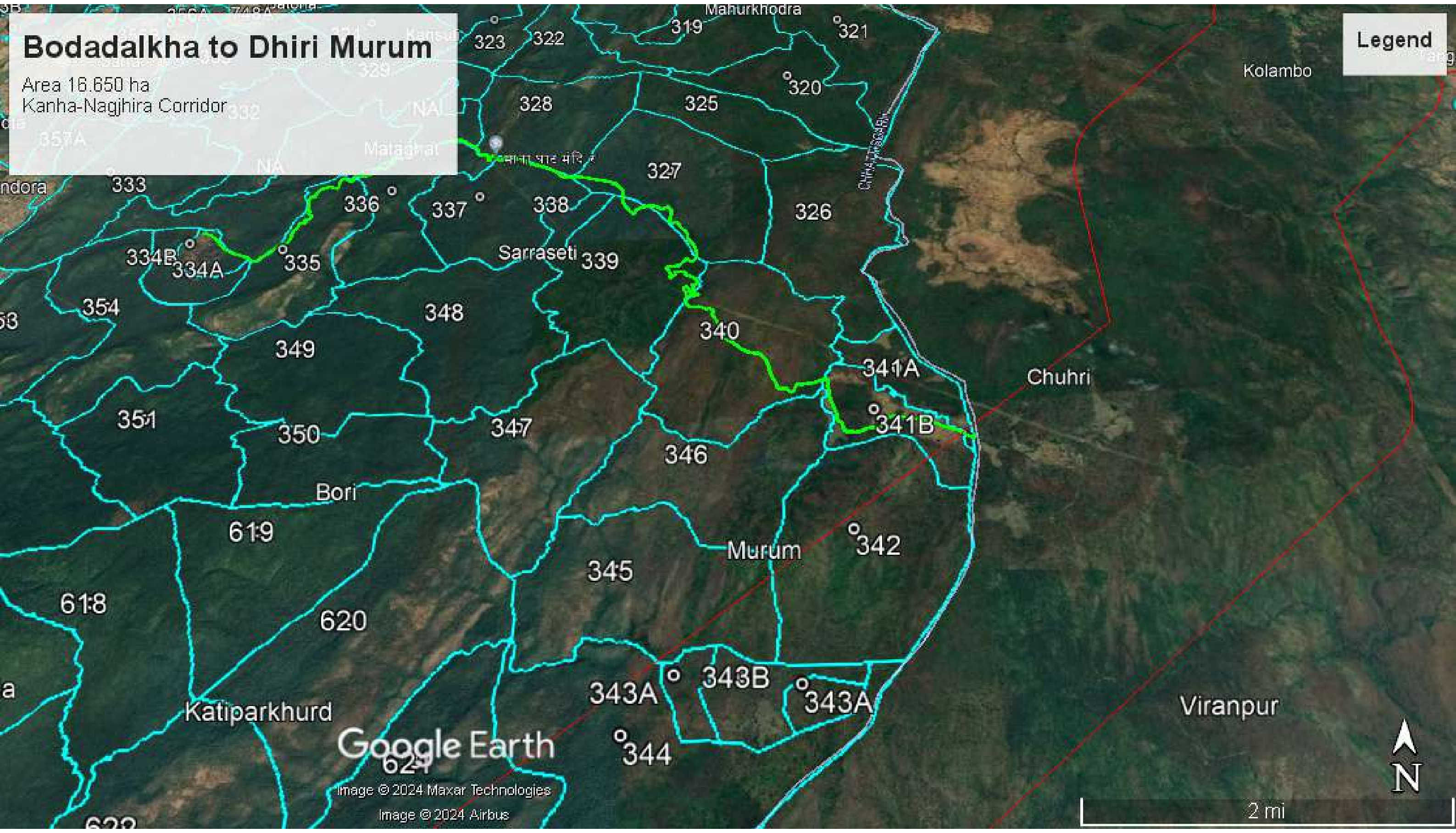

Bodadalkha to Dhiri Murum
Area 16.650 ha
Kanha-Nagjhira Corridor
Legend
Mahurkhodra
Kolambo
Chuhri
Sarraseti
Bori
Murum
Katiparkhurd
Viranpur
323
322
319
321
320
328
325
327
326
333
336
337
338
339
334B
334A
335
354
348
349
340
341A
341B
351
350
347
346
619
342
345
618
620
343A
343B
344
Image © 2024 Maxar Technologies
Image © 2024 Airbus
2 mi
N